संख्या–1262/11–क. नि.–6–2001–बीस.एम.(158)/99 टी0सी0

प्रेषक,

टी0 जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ : दिनाँक : 06 जून, 2001

विषय : मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण के सम्बन्ध में मार्ग निर्देश।

महोदय,

शासन द्वारा मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण के संबंध में, शासनादेश संख्या–970/11–क.नि.–6–2001–बीस.एम.(158)/99 टी0सी0 दिनांक 30 अप्रैल, 2001 द्वारा मल्टीप्लेक्स निर्माण के लिए विभिन्न सुविधाओं को सुनिश्चित करने हेतु ब्यूरों आफ इण्डियन स्टैंडर्डस् द्वारा प्रकाशित वाइलाज को आधार मान कर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 30.4.2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 30.4.2001 में प्राविधनित व्यवस्थाओं के साथ–साथ निम्नांकित व्यवस्था भी सम्मिलित की जाती है :–

1– मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत सिनेमा हाल्स का निर्माण, महायोजना/जोनलप्लान/सेक्टर प्लान/ले–आउट प्लान में अनुमन्य भू–आच्छादन तथा तलक्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अन्तर्गत बेसमेन्ट को छोड़कर अन्य किसी भी तल पर किये जा सकेंगे परन्तु अनुमति देने से पूर्व ट्रैफिक लोड, पार्किंग व्यवस्था, व्यक्तियों के आवागमन एंव निकास, अग्निशमन व्यवस्था, वाटर सप्लाई, बिजली व्यवस्था, ड्रेनेज तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें समुचित रूप से सुनिश्चित करनी होंगी। बेसमेन्ट में सिनेमाहाल का निर्माण कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

2– मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत एक ही काम्पलेक्स में छविगृह, वाणिज्यिक क्रियाएं तथा मनोरंजन सुविधाएं आवास विभाग के शासनादेश संख्या–4218/9–आ–3–99–42–विविध/99 दिनांक 14 दिसम्बर 2000 के अनुसार महायोजना/निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप अनुमन्य किये जा सकेंगे।

3– पार्किंग के सम्बन्ध में ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस के पैरा–8.1 के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

4– सीटिंग व्यवस्था के संबंध में ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैंण्डर्डस् की उपविधियों के प्रस्तर–10.12 में पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिसमें गैंगवे से दूरी तथा पंक्तियों के बीच में दूरी की व्यवस्थायें भी सम्मिलित है। इसमें गैंगवे से सीटों की दूरी से अधिकतम 10 फिट (जैसा कि उ0प्र0 सिने मैटोग्राफ रूल्स–1951 में व्यवस्था है) न होकर अधिकतम 7 सीटों की व्यवस्था है। अर्थात प्रत्येक पंक्ति में गैंगवे से अधिकतम दूरी सातवी सीट की होगी।

5– मल्टीप्लैक्स छविगृों के संबंध में आवास विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 में पूर्व से ही व्यवस्था है कि मल्टीप्लेक्स में कम से कम 3 सिनेमा हाल बनाया जाना अनिवार्य होगा। अतः 3 से अधिक सिनेमाहाल बनाए जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैण्डर्डस् के नियमों में प्रत्येक बिन्दु पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मल्टीप्लेक्स निर्माण की अनुमति तथा लाइसेंस देते समय उन व्यवस्थाओं को अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

टी0 जार्ज जोसेफ
प्रमुख सचिव

<u>संख्या 1262 (1)/11–क.नि.–6–2001, तद्दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,

डा0 प्रभात कुमार
विशेष सचिव